इसे नहीं रोका गया तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः यह बिंदू भी सायलान के पक्ष में साबित होते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायलान** को वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू भाग पर कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायल अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायलान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा विजयगढ पटवार हल्का टूंकडा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 06 बीघा, खसरा नंबर 512 रकबा 02–6 बीघा कुल रकबा 08–06 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं सरहद मौजा निम्बेड़ाखूर्द पटवार हल्का टूकडा में स्थित कृषि भूमि खरारा नम्बर 152 रकबा 3–04 बीघा खसरा संख्या 244 रकबा 1–12 बीघा कुल रकया 4–16 बीघा किस्म बारानी दोयम का विशिष्ट भू भाग पर कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)